(d) if so, steps taken by the Government to improve the housing conditions of Plantation Workers?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) 15,743 houses.

(b) Employers are required to build houses for atleast 8 per cent of the resident workers every year. Many of the employers are complying with this provision and others are being persuaded by concerned State Governments to do so.

(c) Certain complaints have been received about more than one family residing in one house.

(d) The Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers, which is in the Central Sector, has the object of improving the housing conditions of plantation workers by providing financial assistance to the planters for construction of houses for their workers in the shape of loan and subsidy to the extent of 87-1/2 per cent of the approved cost of construction Over the years, the quantum of central financial assistance for the implementation of the scheme has been stepped up considerably.

Villages connected with all weather Roads and fair weather Roads in Gujarat

774. SHRI AMAR SINH V. RATHAWA: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) the percentage of villages connected with all-weather roads and fair-weather roads in Gujarat State; and

(b) the steps taken by the Government to connect more villages with road under the rural roads development programme during the next two years, particularly in Adivasi area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) According to the information furnished by the Government of Gujarat the percentage of villages connected with all-weather roads and fair-weather roads is 36 and 22 respectively as on the 31st March, 1979;

(b) Work on roads connecting about 3,400 villages is in progress. By the end of 1980-81, 1,500 villages are likely to be connected by roads in rural areas. In the Adivasi area, 340 villages are to be connected by pucca roads and 179 villages with kutcha roads during 1979-80. Details of the plans in this regard for the next two years (1980-81 and 1981-82) are being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त जिले

775. **श्री हरि किशन शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों को राहत पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या राहत कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ; और

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें प्राथमिकता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए जिस केन्द्रीय दल ने 11 और 14 अक्तूबर, 1979 के बीच उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने निःशुल्क राहत सम्बन्धी मदों, स्वास्थ्य चिकित्सा, रोजगार सृजन सम्बन्धी योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, मृदा संरक्षण तथा वन-रोपण सम्बन्धी योजनाओं, पेयजल आपूर्ति में वृद्धि तथा लघु और सीमान्त कृषकों आदि को कृषि आदानों के लिए राज सहायता हेतु केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन से कुल 34.91 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की अधिकतम सीमा स्वीकार की है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्यों को काम के बदले अनाज के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.04 लाख मीटरी टन खाद्यान्न तथा काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.25 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किया है ।

भारत सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, छोटे शिशुओं, वृद्ध और

कमजोर व्यक्तियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के लिए अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 33500 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त 1979-80 के दौरान बीजों, उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए 25 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण मंजूर किया गया है।

राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किये जा रहे राहत सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण उपायों की भी सूचना दी है, जो निम्न प्रकार है ।

1. पेय जल की आपूर्ति में वृद्धि की जा रही है ।

2. काम के बदले अनाज कार्यक्रम में तेजी लायी गई है।

3. निराश्रित व्यक्तियो को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है ।

4. गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं एवं छः वर्ष तक की आयु के बच्चो को 1 अप्रैल, 1980 से तैयार भोजन दिया जाएगा ।

5. 7वी कक्षा से विश्वविद्यालय के स्तर तक के विद्यार्थियो को शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया है ।

6. सभी सरकारी देनदारियों की वसूली रोक दी गई है ।

7. लघु और सीमान्त कृषकों को कृषि आदानों की खरीद पर राज सहायता दी जा रही है ।

8. सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है तथा 80 प्रतिशत हाई स्पीड डीजल को कृषि कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है ।

(ख) राज्य स्तर पर एक राहत आयुक्त की नियुक्ति की गई है । जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (परियोजनाएं) या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास) को राहत सम्बन्धी कार्यों का प्रभारी बनाया गया है । इसके अतिरिक्त तकनीकी इंजीनियरों आदि जैसे तकनीकी स्टाफ को भी आवश्यकताओं, स्थिति की जरूरतों के अनुसार तैनात किया गया है ।

(ग) राज्य सरकार ने निम्नांकित 22 जिलों को प्राथमिकता दी है :—

1. आगरा
2. इटावा
3. फतेहपुर
4. इलाहाबाद
5. बान्दा
6. हमीर पुर
7. झांसी
8. ललितपुर
9. जालौन
10. वाराणसी
11. मिर्जापुर
12. जौनपुर
13. गाजीपुर
14. बलिया
15. बस्ती
16. आजमगढ़
17. राय बरेली
18. सीतापुर
19. हरदोई
20. गोण्डा
21. सुल्तानपुर
22. प्रतापगढ़ ।

Allotment of Paraffin Wax to Orissa

776. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) the small scale industries in Orissa which consume paraffin wax as their basic raw material together with the installed capacity of each such industry and the allotment of paraffin wax to each of them during last three years;

(b) whether Government are satisfied in regard to the meeting of their full requirement of paraffin wax during the above period;

(c) if not, the measures Government propose to take to ensure adequate supply of paraffin wax to these industries in the interests of continuity of production and employment of the workers therein; and

(d) whether Government have received any representations in this regard during the above period and if so, from whom and what action has been taken thereon?